

कार्यालय—श्रीमती अर्चना नायडू बोडे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सीहोर (म.प्र.)

—: संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक—धारा—164 द.प्र.सं. :—

(संशोधित अनुसूची “दो”)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पेशल लीव पीटिशन नम्बर 5073/2011 स्टेट ऑफ कर्नाटका विरुद्ध शिवन्ना में पारित आदेश दिनांक 25/04/14 में परमादेश के माध्यम से धारा 376 एवं 376 (जी) भा.द.सं. के मामले में धारा 164 द.प्र.सं. के कथन महिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही अभिलिखित किया जाना चाहिए, के आदेश दिए गए हैं, उक्त निर्देश एवं आदेश के पालन में कार्य विभाजन पत्रक दिनांक—30.01.2023 में संशोधन करते हुये सीहोर जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 376 एवं 376 (जी) भा.द.सं. तथा एनडीपीएस एक्ट के मामले में धारा 164 द.प्र.सं. के कथन निम्न महिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जावेंगे, इसके अतिरिक्त धारा 376—ए से 376—डी भा.द.सं. जिनके साथ पॉक्सो एक्ट के अपराध हो या नहीं या पॉक्सो एक्ट या एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामलों में निम्न महिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 द.प्र.सं. के कथन अभिलिखित किये जावेंगे :—

सारणी क्रमांक—1:—

<u>क्रमांक</u>	<u>न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम</u>	<u>आरक्षी केन्द्र</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1—	सुश्री निधु श्रीवास्तव	दोराहा, अजाक सीहोर, जी.आर.पी.,
2—	सुश्री इकरा मिन्हाज	श्यामपुर, मण्डी
3—	श्रीमती राखी सिकरवार	इछावर, बिलकिसगंज, महिला थाना
4—	श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित	कोतवाली, अहमदपुर

नोट :- उक्त जिला मुख्यालय सीहोर पर महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में होने पर संशोधित अनुसूची “एक” में वर्णित मुख्यालय में पदस्थ महिला कार्य प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त कथन अंकित किये जावेंगे एवं उनके भी अवकाश में होने पर वरिष्ठतम महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कथन अंकित किये जावेंगे।

सारणी क्रमांक—2

धारा 376, 376—ए से 376—डी एवं 376 (जी) भा.द.सं., पॉक्सो एक्ट या एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामलों को छोड़कर शेष धाराओं के लिए आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत मामलों में निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके सामने दर्शित आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन अभिलिखित करेंगे :—

<u>क्रमांक</u>	<u>न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम</u>	<u>आरक्षी केन्द्र</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1—	सुश्री निधु श्रीवास्तव	दोराहा, अजाक सीहोर, जी.आर.पी.,
2—	सुश्री इकरा मिन्हाज	श्यामपुर, मण्डी
3—	श्रीमती राखी सिकरवार	इछावर, बिलकिसगंज, महिला थाना
4—	श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित	कोतवाली, अहमदपुर

1— सारणी क्रमांक—2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर संशोधित अनुसूची—एक में उल्लेखित उनके प्रभारानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे धारा—164 द.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु पेश हो तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट का प्रभारी कथन लेंगे, यदि प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट कथन लेने से इन्कार करते हैं या ऐसी कोई कार्यवाही करते हैं, जिससे अभियोक्त्री के कथन लेने में असुविधा होती हो तो इसकी सूचना तत्काल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

के माध्यम से माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर प्रेषित करेंगे।


(श्रीमती अर्चना नायडू बोडे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-सीहोर (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

सीहोर, दिनांक-02.09.2023

क्रमांक- /मु०न्या०म/ 2023

- 1- माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय सीहोर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, जिला-सीहोर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3- माननीय प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला सीहोर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4- माननीय नजारत प्रभारी, सीहोर की ओर सादर प्रेषित।
5- श्री....., प्रथम/ द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीहोर/
आष्टा/ नसरुल्लागंज/ बुदनी/ इछावर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6- जिला दण्डाधिकारी, सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7- पुलिस अधीक्षक, जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8- जिला आबकारी अधिकारी, जिला-सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9- वन मण्डाधिकारी, जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10- जिला अभियोजन अधिकारी, सीहोर/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आष्टा
/ नसरुल्लागंज/ बुदनी/ इछावर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11- अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12- आरक्षी केन्द्र प्रभारी , आरक्षी केन्द्र जिला-सीहोर की ओर
सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
13- रीडर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

नोट:- सिस्टम आफिसर सीहोर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि वह जिला स्थापना पर पदस्थ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट की ई-मेल आई.डी. पर प्रेषित करें तथा जिला न्यायालय की वेबसाइट में भी अपलोड करें।


(श्रीमती अर्चना नायडू बोडे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-सीहोर (म.प्र.)

कार्यालय—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीहोर मध्यप्रदेश

क्रमांक— १) / मु०न्या०म / 2023

सीहोर, दिनांक—30.01.2023

॥ आदेश ॥

—: आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2023 :—

मैं श्रीमती अर्चना नायडू बोडे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुये, सत्र मंडल सीहोर, जिला सीहोर के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विचाराधीन होने वाले आपराधिक प्रकरण संबंधी कार्य विभाजन संशोधन पत्रक, वर्ष 2023 निम्नानुसार जारी करती हूँ। यह आदेश पूर्व के सभी आदेशों को निरस्त करते हुये माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय सीहोर के अनुमोदन उपरान्त तत्काल आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा :—

<u>क्र.</u>	<u>मजिस्ट्रेट</u>	<u>आरक्षी केन्द्र</u>	<u>कार्य विवरण</u>
1—	श्रीमती अर्चना नायडू बोडे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीहोर	ए— आरक्षी केन्द्र कोतवाली, मण्डी, यातायात, आबकारी वृत्त सीहोर जी.आर.पी., (2) तहसील सीहोर व श्यामपुर से वन विधि व खनिज विधि से संबंधित प्रकरण	<p>1— आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले अभियोग पत्र एवं केन्द्रीय तथा प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद—पत्र के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>2— नगर पालिका सीहोर की ओर से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण।</p> <p>3— आरक्षी केन्द्र कोतवाली सीहोर, मण्डी सीहोर से उद्भूत होने वाले मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के समस्त प्रकरण।</p> <p>4— तहसील सीहोर व श्यामपुर के अंतर्गत उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन विधि से संबंधित केन्द्रीय तथा म.प्र. की अनुषांगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण।</p> <p>5— तहसील सीहोर व श्यामपुर के अंतर्गत उद्भूत होने वाले खनिज विधि से संबंधित केन्द्रीय तथा म.प्र. की अनुषांगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण।</p> <p>6— संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण।</p> <p>7— रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) सीहोर द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले वे समस्त प्रकरण जो रेलवे मजिस्ट्रेट भोपाल द्वारा विचारणीय न हो।</p> <p>8— बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>9— औषधि और प्रसाधन सामग्री अधि., 1940 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>10— आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) और प्रकीर्ण</p>

		<p>बी— सम्पूर्ण जिला सीहोर</p> <p>उपबंध अधिनियम, 2002 से संबंधित उद्भूत होने वाले प्रकरण।</p> <p>11— आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 से संबंधित उद्भूत आपराधिक प्रकरण।</p> <p>12— तहसील सीहोर से उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>13— आरक्षी केन्द्र कोतवाली, मण्डी सीहोर से संबंधित खात्मा प्रकरण।</p> <p>1— वे सभी प्रकरण जो किसी मजिस्ट्रेट को कार्य हेतु आबंटित नहीं किए गए हैं एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जो किसी अधिनियम से उद्भूत हुये हैं तथा इस कार्य विभाजन पत्रक में भी विनिर्दिष्ट उल्लेखित नहीं हैं।</p> <p>2— जिला सीहोर के अंतर्गत भवन निर्माण अधिनियम, कारखाना अधिनियम एवं मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत आपराधिक प्रकरण।</p> <p>3— समस्त जिले के आरक्षी केन्द्र के खारिजी (इ0आर0) प्रकरण।</p> <p>4— समस्त जिले के सभी आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले इस्तगासा/परिवाद पत्र प्रस्तुत किये जावेगे।</p> <p>5— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को छोड़कर जिले के सभी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 195 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र।</p> <p>6— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला सीहोर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित किसी भी अभियोग पत्र पर संज्ञान ले सकेंगे और किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित प्रकरणों में न्याय की पूर्ति हेतु कभी भी विधि अनुसार आदेश पारित कर सकेंगे।</p> <p>7— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समस्त सीहोर क्षेत्र से संबंधित किसी भी खात्मा प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही कर सकेंगे।</p> <p>8— जिला सीहोर के अंतर्गत भवन निर्माण अधिनियम, कारखाना अधिनियम एवं मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत आपराधिक प्रकरण।</p> <p>9— ऐसे सभी प्रकरण जो विशेष अधिनियम से संबंधित तथा जिनका उल्लेख पृथक से कार्य विभाजन पत्रक में नहीं कियागया है।</p>
--	--	--

			(ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के भाग-1 में उल्लेखित आपराधिक प्राकृति के ऐसे समस्त प्रकरण जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, को छोड़कर)
2-	सुश्री निधु श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीहोर	श्यामपुर अहमदपुर से संबंधित प्रकरण	<p>1— आरक्षी केन्द्र श्यामपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद-पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>2— संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण।</p> <p>3— आरक्षी केन्द्र अहमदपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद-पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>4— संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण।</p> <p>5— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय-समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।</p> <p>(ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के भाग-1 में उल्लेखित आपराधिक प्राकृति के ऐसे समस्त प्रकरण जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, को छोड़कर)</p>
3-	सुश्री इकरा मिन्हाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	आरक्षी केन्द्र कोतवाली सीहोर, मण्डी सीहोर, श्यामपुर, अहमदपुर दोराहा बिलकिसगंज से उद्भूत महिलाओं से संबंधित प्रकरण	<p>1— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत ऐसे आपराधिक प्रकरण (जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध कारित हुआ हो)</p> <p>2— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 के अन्तर्गत 125 से 128 एवं मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 एवं 5 के अधीन होने वाले आवेदन पत्र, (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) से उद्भूत होने वाले प्रकरण।</p> <p>3— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत घरेलू हिंसा</p>

			<p>से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005।</p> <p>4— संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण।</p> <p>5— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय—समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।</p> <p>(ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के भाग—1 में उल्लेखित आपराधिक प्राकृति के ऐसे समस्त प्रकरण जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, को छोड़कर)</p>
4—	श्री केशव कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	बिलकिसगंज, दोराहा	<p>1— आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद—पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>2— संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण।</p> <p>3—आरक्षी केन्द्र मण्डी सीहोर के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के आपराधिक प्रकरण।</p> <p>4—आरक्षी केन्द्र कोतवाली सीहोर के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के आपराधिक प्रकरण।</p> <p>5— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय—समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।</p> <p>(ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के भाग—1 में उल्लेखित आपराधिक प्राकृति के ऐसे समस्त प्रकरण जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, को छोड़कर)</p>
5—	श्रीमती वंदना त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आष्टा	आष्टा, पार्वती, सिद्दीकगंज एवं जावर से उद्भूत महिलाओं से संबंधित प्रकरण	<p>1— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत उद्भूत होने वाले ऐसे आपराधिक प्रकरण (जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध कारित हुआ हो)</p> <p>2— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 की धारा 125 से 128 एवं मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 एवं 5 के अधीन प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।</p>

			<p>3— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005।</p> <p>4— संबंधित आरक्षी केन्द्रों के महिलाओं से संबंधित खात्मा प्रकरण।</p> <p>5— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय-समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।</p>
6—	श्री मोहम्मद नियामत हुसैन रिजवी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आष्टा	(1) पार्वती (2) तहसील आष्टा के वन विधि व खनिज विधि से संबंधित प्रकरण	<p>1— आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद-पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>2— तहसील आष्टा के तहत उद्भूत होने वाले खाद्य अपमिश्रण निवारण 1954 के आपराधिक प्रकरण।</p> <p>3— नगर पालिका आष्टा की ओर से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण।</p> <p>4— तहसील आष्टा से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन विधि से संबंधित केन्द्रीय तथा म.प्र. की अनुसंगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण।</p> <p>5— तहसील आष्टा से उद्भूत होने वाले खनिज विधि से संबंधित केन्द्रीय तथा म.प्र. की आनुसंगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण।</p> <p>6— संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण।</p>
7—	सुश्री आयुषी गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा	जावर	<p>1— आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद-पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>2— संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण।</p> <p>3— आरक्षी केन्द्र से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उद्भूत होने वाले</p>

			<p>आपराधिक प्रकरण।</p> <p>4— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय—समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।</p>
8—	श्रीमती रिचासिंह राजावत् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा	आष्टा (1) आबकारी वृत्त आष्टा।	<p>1— आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद—पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>2— उक्त आरक्षी केन्द्र एवं आबकारी वृत्त आष्टा के अंतर्गत आबकारी विभाग से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>4— संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण।</p> <p>5— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय—समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।</p>
9—	श्रीमती शालिनी मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा	सिद्धीकगंज	<p>1— आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद—पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>2— आरक्षी केन्द्र से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>3— संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण।</p> <p>4— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय—समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।</p>
10—	श्री जितेन्द्र परमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इच्छावर	(1) इच्छावर, (2) आबकारी वृत्त इच्छावर,	<p>1— आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से</p>

	<p>(3) तहसील इछावर के वन विधि व खनिज विधि से संबंधित प्रकरण।</p>	<p>उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>2— आरक्षी केन्द्र एवं वृत्त इछावर आबकारी विभाग से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>3— दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 की धारा 125 से 128 एवं मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 एवं 5 अधीन प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।</p> <p>4— संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण।</p> <p>5— तहसील इछावर से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन विधि से संबंधित केन्द्रीय तथा म.प्र. की आनुषंगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण।</p> <p>6— तहसील इछावर से उद्भूत होने वाले खनिज विधि से संबंधित केन्द्रीय तथा म.प्र. की आनुषंगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण।</p> <p>7— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा मय—समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।</p>	
11—	<p>श्रीमती सुनीता गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नसरुल्लागंज</p>	<p>(1) नसरुल्लागंज (2) आबकारी विभाग नसरुल्लागंज, गोपालपुर (3) तहसील नसरुल्लागंज, गोपालपुर व रेहटी से वन विधि एवं खनिज विधि से संबंधित प्रकरण</p>	<p>1— आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य क्षेत्राधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>2— आरक्षी केन्द्र एवं वृत्त नसरुल्लागंज, गोपालपुर के अंतर्गत आबकारी विभाग से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>3— संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण।</p> <p>4— तहसील नसरुल्लागंज व रेहटी का वह क्षेत्र जो नसरुल्लागंज के अंतर्गत आता है, से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन विधि से संबंधित</p>

			<p>केन्द्रीय तथा म.प्र. की आनुषंगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण।</p> <p>5— तहसील नसरुल्लागंज व रेहटी का वह क्षेत्र जो नसरुल्लागंज के अंतर्गत आता है, से उद्भूत होने वाले खनिज विधि से संबंधित केन्द्रीय तथा म.प्र. की आनुषंगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण।</p> <p>6— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय—समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।</p>
12—	श्रीमती भावना जाटवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नसरुल्लागंज	(1) गोपालपुर, (2) नसरुल्लागंज, गोपालपुर, रेहटी (रेहटी का वह क्षेत्र जो पूर्व से नसरुल्लागंज न्यायालय के अंतर्गत आता है) से उद्भूत महिलाओं से संबंधित प्रकरण	<p>1— आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>2— आरक्षी केन्द्र गोपालपुर के अंतर्गत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण।</p> <p>3— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत ऐसे आपराधिक प्रकरण (जिनमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध कारित हुआ हो)</p> <p>4— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 की धारा 125 से 128 एवं मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 एवं 5 के अधीन प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।</p> <p>5— आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।</p> <p>6— संबंधित आरक्षी केन्द्रों के महिलाओं से संबंधित खात्मा प्रकरण।</p> <p>7— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय—समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।</p>
13—	श्री अनिरुद्ध उचाड़िया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नसरुल्लागंज	रेहटी (रेहटी का वह क्षेत्र जो पूर्व से नसरुल्लागंज न्यायालय के अंतर्गत आता है)	<p>1— आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त</p>

		<p>आपराधिक प्रकरण जिसमे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>2— उक्त आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण।</p> <p>2— संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण।</p> <p>3— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय—समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।</p>
14—	श्री अरविंद श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बुदनी	<p>(1) शाहगंज (2) तहसील बुदनी के वन विधि व खनिज विधि से संबंधित प्रकरण</p> <p>1— आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं परकार्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>3— संबंधित आरक्षी केन्द्रों से संबंधित खात्मा प्रकरण।</p> <p>4— तहसील बुदनी व रेहटी का वह क्षेत्र जो बुदनी के अंतर्गत आता है से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन विधि से संबंधित केन्द्रीय तथा म.प्र. की अनुसंगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण।</p> <p>5— तहसील बुदनी व रेहटी का वह क्षेत्र जो बुदनी के अंतर्गत आता है से उद्भूत होने वाले खनिज विधि से संबंधित केन्द्रीय तथा म.प्र. की आनुषंगिक विधियों से उद्भूत प्रकरण।</p> <p>6— दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा—125 से 128 एवं मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 एवं 5 के अधीन प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।</p> <p>7— घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।</p> <p>8— माननीय सत्र न्यायालय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय—समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।</p> <p>(ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के भाग—1 में उल्लेखित आपराधिक</p>

			<p>प्राकृति के ऐसे समस्त प्रकरण जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, को छोड़कर)</p>
15—	श्री कुणाल वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बुदनी	रेहटी (रेहटी का वह क्षेत्र जो पूर्व से बुदनी न्यायालय के अंतर्गत आता है), बुदनी (2) आबकारी वृत्त बुदनी	<p>1— आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले आपराधिक अभियोग पत्र तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से उद्भूत प्रकरण के आपराधिक अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं परकार्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनन्य अधिकारिता नहीं हो प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>2— उक्त आरक्षी केन्द्र एवं वृत्त बुदनी आबकारी विभाग से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>3— संबंधित आरक्षी केन्द्र से संबंधित खात्मा प्रकरण।</p> <p>3— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर द्वारा समय-समय पर अंतरित व सुपुर्द किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।</p> <p>(ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के भाग-1 में उल्लेखित आपराधिक प्राकृति के ऐसे समस्त प्रकरण जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, को छोड़कर)</p>

टीप एवं आवश्यक निर्देश :-

1. इस कार्य विभाजन पत्रक के साथ सत्र खण्ड सीहोर के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपलब्धता पर आपराधिक आवश्यक कार्य का निपटारा न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित अनुसूची क्रमांक—एक में वर्णित अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे तथा धारा—164 दं०प्र०स० के अंतर्गत कथन **अनुसूची क्रमांक—दो** में वर्णित अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट लिपिबद्ध करेंगे।
2. इस कार्य विभाजन पत्रक के साथ ग्राम न्यायाधिकारी के पीठासीन अधिकारी द्वारा ग्राम न्यायालय जाने पर उनकी अनुपलब्धता पर उनके न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य का निपटारा **अनुसूची क्रमांक—एक** के अनुसार उनसे संबंधित दर्शित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने—अपने संबंधित आरक्षी केन्द्र की सीमा क्षेत्र में माह में एक बार आवश्यक रूप से नियमानुसार चलित न्यायालय लगायेंगे जिसकी सूचना माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर को प्रेषित करेंगे। उक्त चलित न्यायालय संक्षिप्त विचारण से संबंधित प्रकरणों के लिये लगाई जावे तथा उक्त चलित न्यायालयों को इस प्रकार लगाया जावे, जिससे कि न्यायालय का नियमित कार्य का संपादन प्रभावित न हो।
4. इस कार्य विभाजन पत्रक का प्रभाव उन प्रकरणों, परिवाद, विविध प्रकरण व आवेदन पत्रों पर नहीं पड़ेगा जो संबंधित न्यायालय में पूर्व से लंबित हैं एवं जिनका निराकरण करने के लिये वह न्यायालय सक्षम है।
5. मुख्यालय पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान प्रस्तुत होने वाले समस्त रिमाण्ड आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक आपराधिक कार्य से संबंधित आवेदन पत्र का संबंधित

न्यायिक मजिस्ट्रेट विधिवत् निराकरण करेंगे।

6. आवश्यक कार्य के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया अनुसार निपटाये जाने वाले आपराधिक प्रकरण सम्मिलित होंगे जो आवश्यक कार्य धारित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पंजीबद्ध किये जाकर निराकृत किये जा सकेंगे।
7. लंबित रिमांड पेपर्स से संबंधित अभियोग पत्र उन्हीं न्यायालयों में पेश किये जायेंगे जिनके पास संबंधित उपरोक्त कार्य विभाजन पत्रक से संबंधित आरक्षी केन्द्र का क्षेत्राधिकार है, जब तक कि अलग से आदेश न दिया गया हो।
8. श्रीमान् प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा किसी भी दांडिक न्यायालय का कोई भी प्रकरण, परिवाद व आवेदन पत्र किसी भी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अंतरित किया जा सकेगा, या कोई भी प्रकरण, परिवाद व आवेदन पत्र किसी भी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकेगा या वापस लिया जा सकेगा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उसके स्थानीय अधिकारिता के किसी भी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित दांडिक प्रकरण को वापस ले सकेगा या किसी भी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को दांडिक प्रकरण जांच एवं विचारण हेतु निर्देशित कर सकेगा।
9. उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश के बावजूद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर जिले में स्थित किसी भी आरक्षी केन्द्र अथवा अन्य विभाग से प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग पत्रों व परिवाद पत्रों का संज्ञान लेने में सक्षम होंगे।
10. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे, प्रस्थान करने के तीन दिवस पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी देंगे, यदि यह संज्ञान में आता है कि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट बिना माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के पूर्व अनुमति से मुख्यालय से प्रस्थान किया है, तो उसकी सूचना माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रेषित किया जावेगा।
11. मुख्यालय सीहोर के रिक्त न्यायालयों के संबंध में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, उनके द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं माननीय अपीलीय न्यायालय, माननीय पुनरीक्षण न्यायालय से प्राप्त होने वाले निर्देशों के पालन में सजा वारंट एवं जेल वारंट तैयार करने व समस्त आवश्यक कार्यवाही का विचारण विधि अनुसार निम्नांकित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा :—
- माह जनवरी 2023 से माह अप्रैल 2023 तक सुश्री निधु श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीहोर।
 - माह मई 2023 से माह अगस्त 2023 तक श्री केशव कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीहोर
 - माह सितम्बर 2023 से माह दिसम्बर 2023 तक सुश्री इकरा मिन्हाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीहोर
12. आष्टा मुख्यालय के रिक्त न्यायालयों के संबंध में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, उनके द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं माननीय अपीलीय न्यायालय, माननीय पुनरीक्षण न्यायालय से प्राप्त होने वाले निर्देशों के पालन में सजा वारंट एवं जेल वारंट तैयार करने व समस्त आवश्यक कार्यवाही का विचारण विधि अनुसार निम्नांकित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा :—
- माह जनवरी 2023 से माह मार्च 2023 तक श्रीमती वंदना त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आष्टा।
 - माह अप्रैल 2023 से माह जून 2023 तक सुश्री आयुषी गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आष्टा।
 - माह जुलाई 2023 से माह सितम्बर 2023 तक श्रीमती शालिनी मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आष्टा।
 - माह अक्टूबर 2023 से माह दिसम्बर 2023 तक श्रीमती रिचासिंह राजावत् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आष्टा।
13. नसरुल्लागंज मुख्यालय के रिक्त न्यायालयों के संबंध में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, उनके द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं माननीय अपीलीय न्यायालय, माननीय पुनरीक्षण न्यायालय से प्राप्त होने वाले निर्देशों के पालन में सजा वारंट एवं जेल

वारंट तैयार करने व समस्त आवश्यक कार्यवाही का विचारण विधि अनुसार निम्नांकित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा :—

- अ. माह जनवरी 2023 से माह अप्रैल 2023 तक श्रीमती सुनीता गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नसरुल्लागंज।
- ब. माह मई 2023 से माह अगस्त 2023 तक श्रीमती भावना जाटवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नसरुल्लागंज।
- स. माह सितम्बर 2023 से माह दिसम्बर 2023 तक श्री अनिरुद्ध उचाड़िया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नसरुल्लागंज।

14. बुदनी मुख्यालय के रिक्त न्यायालयों के संबंध में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, उनके द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं माननीय अपीलीय न्यायालय, माननीय पुनरीक्षण न्यायालय से प्राप्त होने वाले निर्देशों के पालन में सजा वारंट एवं जेल वारंट तैयार करने व समस्त आवश्यक कार्यवाही का विचारण विधि अनुसार निम्नांकित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा :—

- अ. माह जनवरी 2023 से माह जून 2023 तक श्री अरविंद श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुदनी।
- ब. माह जुलाई 2023 से माह दिसम्बर 2023 तक श्री कुणाल वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुदनी।

15. इछावर मुख्यालय के रिक्त न्यायालयों के संबंध में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, उनके द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं माननीय अपीलीय न्यायालय, माननीय पुनरीक्षण न्यायालय से प्राप्त होने वाले निर्देशों के पालन में सजा वारंट एवं जेल वारंट तैयार करने व समस्त आवश्यक कार्यवाही का विचारण विधि अनुसार निम्नांकित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा :—

- अ. माह जनवरी 2023 से माह दिसम्बर 2023 तक श्री जितेन्द्र परमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इछावर।

16. ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है, के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट का निराकरण उन्हीं मजिस्ट्रेटों द्वारा किया जाएगा, जिनके समक्ष उक्त गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण लंबित है।

17. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण इस कार्य विभाजन पत्रक से प्रभावित नहीं होंगे।

18. ग्राम न्यायालय अधिनियम—के प्रावधानानुसार कार्यरत ग्राम न्यायालय क्षेत्राधिकार के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उद्भूत आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माने जायेंगे।

19. द०प्र०सं० की धारा 176 (1-क) के अन्तर्गत मृत्यु के कारण की जांच जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर या जिसके द्वारा प्राधिकृत अभिरक्षा में अपराध किया गया है या जिसको इस हेतु अधिकृत किया जाता है उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जावेगी।

20. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनमें अभियोजन और अभियुक्त का साक्ष्य सुनने के पश्चात् मजिस्ट्रेट की यह राय है कि अभियुक्त दोषी है और उसे उस प्रकार के दंड से भिन्न प्रकार का दंड या उस दंड से अधिक कठोर दंड, जो वह मजिस्ट्रेट देने के लिए सशक्त है, दिया जाना चाहिए, तब वह अपनी राय अभिलिखित करते हुए कार्यवाही तथा अभियुक्त को धारा 325 दं.प्र.सं. में उपबंधित प्रावधान अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर की ओर प्रेषित कर सकेंगे।

अनुमति

Principal District & Session Judge
SEHORE (M.P.)

(श्रीमती अर्चना नायडू बोडे)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला—सीहोर (म.प्र.)